

ई-मेल / आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा (गुप-5) विभाग

क्रमांक प. 9 (1) शिक्षा-5/भू-रूपान्तरण /2016

जयपुर दिनांक 05/09/18

निदेशक,  
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर ।

विषय :- निजी शिक्षण संस्थाओं को शहरी क्षेत्र में मान्यता / क्रमोन्नति दिये जाने पर भू-रूपान्तरण में शिथिलन दिये जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ:- निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज.बीकानेर का पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/पीएसपी/ए/मूल मान्यता/19654/2017-18/119 दिनांक 14.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निजी विद्यालयों को शहरी क्षेत्र में मान्यता / क्रमोन्नति / स्थान परिवर्तन / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि देने संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि दिनांक 31.7.2012 के पश्चात मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ स्कूल भवन की भूमि एवं खेल मैदान की भूमि का (अकृषि प्रयोजनार्थ / शैक्षिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरित करवाने बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रूपान्तरण आदेश की प्रति लगाया जाना आवश्यक है ।

छात्र हित को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2018-19 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र जो केवल भूमि रूपान्तरण की शर्त पूर्ति न करने के कारण लम्बित हैं, के आवेदन करने वाली संस्थाओं को मान्यता / क्रमोन्नति / स्थान परिवर्तन / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि शैक्षिक सत्र 2018-19 में विद्यालय संचालन के लिए निम्नांकित कार्यवाही करने पर सशर्त मान्यता / क्रमोन्नति / स्थान परिवर्तन / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि देने का निर्णय लिया गया है :-

1. जिन आवेदकों ने इस सत्र 2018-19 में मान्यता / क्रमोन्नति / स्थान परिवर्तन / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि हेतु आवेदन किया है तथा भू-रूपान्तरण की शर्त के कारण मान्यता / क्रमोन्नति / स्थान परिवर्तन / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि नहीं दी जा सकी है तथा अन्य मापदण्ड पूर्ण करता है उन्हें 2 शैक्षिक सत्र (2018-19 एवं 2019-20) के लिए अस्थाई मान्यता / क्रमोन्नति / स्थान परिवर्तन / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि इस शर्त के साथ दी जावे कि वे इस अवधि में भू-रूपान्तरण आवेदन सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर भू-रूपान्तरण करा लेंगे ।
2. संस्था से यह शपथ पत्र लिया जाए कि विद्यालय हेतु प्रस्तावित भवन मास्टर प्लान में नहीं है तथा जब भी स्थानीय निकाय द्वारा भू-रूपान्तरण के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे वे भू-रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर देंगे । भू-रूपान्तरण न होने की दशा में वे अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर देंगे ।

3. सशर्त अस्थाई मान्यता/कमोन्नति/स्थान परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम आदि केवल उसी संस्था को दी जाएगी जो एक परिवचन (Under taking) क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगी कि आगामी शिक्षा सत्र 2020-21 से पूर्व भूमि रूपान्तरण कराकर दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत कर दूंगा, ऐसा न कर पाने पर मैं, विद्यालय स्वतः ही बन्द कर प्रवेशित छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश हेतु टी.सी. जारी कर दूंगा। भूमि रूपान्तरण न करवा पाने पर भी शिक्षण संस्था को सत्र 2020-21 में चालू रखने पर मैं अपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होऊँगा।
4. अस्थाई मान्यता/कमोन्नति/स्थान परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम आदि आदेश में यह स्पष्ट अंकन किया जावे कि यह अस्थाई मान्यता/कमोन्नति/स्थान परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम आदि भू-रूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण शैक्षिक सत्र 2018-19 एवं 2019-2020 के लिए अस्थाई रूप से दी जा रही है तत्पश्चात मान्यता/कमोन्नति/स्थान परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम आदि स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
5. उपरोक्त छूट ग्रामीण क्षेत्र पर भी लागू होगी।

भवदीय,  
05/09/18  
(महेश कुमार गौरयानी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

ई-मेल/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

कमांक प. 9 (2) शिक्षा-5/कक्षा 6 के साथ 7,8 एवं 9 के साथ 10/2005

जयपुर दिनांक 05/09/18

निदेशक,  
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर ।


विषय :- गैर सरकारी विद्यालयों को शिक्षा सत्र 2018-19 में जारी स्वीकृति के तहत कक्षा 6 के साथ 7,8 एवं कक्षा 9 के साथ 10वीं एवं कक्षा 11 के साथ 12 वीं एक साथ इसी सत्र में संचालित किये जाने की स्वीकृति बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र कमांक शिविर-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60566/2018-19  
दिनांक 31.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार गैर सरकारी विद्यालयों को कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 व 8 एवं कक्षा 9 के साथ 10वीं एवं कक्षा 11 के साथ 12वीं की मान्यता सत्र 2018-19 में प्राप्त करने हेतु विलम्ब शुल्क सहित आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18.06.2018 में शिथिलन प्रदान कर दिनांक 15.09.2018 तक ऑफलाईन आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। देरी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर यदि संस्था मानमानक पूर्ण करती हो तो निर्धारित अतिरिक्त मान्यता शुल्क 30,000/- अक्षरे तीस हजार रूपये जमा कराने एवं आवेदन विलम्ब से करने के कारण शास्ति राशि 5,000/-रूपये (अक्षरे पाँच हजार रूपये) प्रारम्भिक शिक्षा में एवं 10,000/- अक्षरे ( दस हजार रूपये ) माध्यमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 6 के साथ 7,8 एवं कक्षा 9 के साथ 10वीं एवं कक्षा 11 के साथ 12 वीं एक साथ इसी सत्र 2018-19 में संचालित किये जाने की ऑफलाईन स्वीकृति जारी करने की निर्देशानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

  
(महेश कुमार गौरयानी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव